The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017

[1](No. 15 of 2017)

An Act to provide for compensation to the States for the loss of revenue arising on account of implementation of the goods and services tax in pursuance of the provisions of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Section 1 : Short title, extent and commencement

(1) This Act may be called the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

---

1 Received the Assent of President of India on 12-04-2017 and published in Gazette of India on 12-04-2017. Enforced w.e.f. 22-06-2017.

[माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम]

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

[1](2017 का अधिनियम संख्यांक 15)

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के अनुसरण में माल और सेवा कर क्रियान्वयन के मद्दे उद्‌भूत होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों हेतु प्रतिकर का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

धारा 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

---

1 भारत के राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 12.04.2017 को प्राप्त हुई एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 12.04.2017 को प्रकाशित हुआ। (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।